राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांकः 11.11.2016

समस्त जिला कलक्टर्स,

....

विषय :– मीना (MINA)/मीणा (MEENA) जाति के व्यक्तियो को जारी किये जा रहे अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्रो के संबध मे।

प्रसंगः– विभागीय पूर्व पत्र क्रमांक प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/ 53218 दिनांक 30.09.2014 एवं पत्रांक 66293 दिनांक 23.12.2014 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2014 एवं 23.12.2014 द्वारा जिस आवेदक ने मीणा (Meena spelling) से एसटी का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उस आवेदक को पुनः मीना (Mina spelling) परिवर्तित कर अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाई गयी थी। उक्त पत्र दिनांक 30.09.2014 एवं 23.12.2014 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के पत्रांक एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि/2015/54159, जयपुर दिनांक 09.09.15 एवं पत्रांक 63606–726, जयपुर दिनांक 20.10.2015 द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में जारी किए गए विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, सक्षम अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

भवदीय,
11/11
(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव